

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 22/09/2017


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.985** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Katarmal Surya Mandir To Bisra-Kaneli Motor Road Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Bisara Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.985** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा


Signature


1.6A

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.985 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above


मुख्य सहाय सहाय अधिकारी
सुरमोडा


मुख्य अधिकारी
सुरमोडा
Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

116B

ANNEXURE-1


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Eva Ashish Srivastava, I.A.S., Deputy Commissioner, Almora on date 22.09.2017 at time 11. PM at Almora in which application claiming rights **Bisara area measuring 0.985 hect for the Construction of Katarmal Surya Mandir To Bisra-Kaneli Motor Road (2.750KM)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora


जिलाधिकारी,
Deputy Commissioner cum-Chairman

Dated:

District Level Committee.


जिला उपाय कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई-2.750 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई-2.750 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.985 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है० अर्थात् कुल 0.985 हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-अल्मोड़ा) की दिनांक 08-09-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक राय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विवेक राय, उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य
- 3- श्री शैलेन्द्र पाण्डे, सहायक समाज कल्याण अधिकारी हवालबाग सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती मोनिका बिष्ट, बी०डी०सी० क्षेत्र ज्योली सिलिंग सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग हवालबाग
Monika
सदस्य


वन पंचायत ज्योली शिलिंग
वि. ख०-हवालबाग(अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई- 2.750 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.985 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है० अर्थात् कुल 0.985 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा


अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई— 2.750 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.985 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है० अर्थात् कुल 0.985 हे० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

पत्र-23

परियोजना का नाम - जनप्रद अल्मोड़ा में विधानसभा हेतु सीमेंसबंद के अन्तर्गत
 कुरामल सूर्य मन्दिर से बिसरा - कनेली की इष्ट ज्योती
 रानीखेत तक सिविल मोटर मार्ग का निर्माण ल०-2.750 कि.मी.
 वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कनेली - बिसरा
 तहसील अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा में कुरामल सूर्य मन्दिर से बिसरा - कनेली की
इष्ट ज्योती रानीखेत तक सिविल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु सू-य हे० आरक्षित वन
 भूमि, ०.११५ हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि सू-य हे० अर्थात् कुल
०.११५ हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संस्था के पक्ष
 में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
 उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनेली द्वारा दिनांक 19.05.2017 को सम्पन्न
 ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति
 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य
 है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी
 आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
 परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं
 हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि
 ग्राम बिसरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




 जिला प्रमुख
 जिला अल्मोड़ा



 मुखिया
 ग्राम पंचायत ज्योती खिल
 कि० सं०-द्वारासराय (अल्मोड़ा)


 मुखिया
 ग्राम पंचायत कनेली,
 लो० नि० वि०,
 जिला अल्मोड़ा


प्रपत्र-23.1

दिनांक 19/5/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कनौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश मिश्र s/उद्यम मिश्र	
2	कुन्दा मिश्र s/रतन मिश्र	भागवत मिश्र
3	भागवत मिश्र s/विश्व मिश्र	
4	कुरात मिश्र s/कंवर मिश्र	
5	दीपक मिश्र s/कल्याण मिश्र	


प्रधान

ग्राम पंचायत कनौली,
पो. बौल-ज्योली,
ब्लॉक बौल-ज्योली,
ग्राम प्रधान
जिला - बलिया


सदस्य

क्षेत्र पंचायत ज्योली जिला बलिया
ब्लॉक बौल-ज्योली (अवध)

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.750 कि०मी०


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम- कटारमल

तहसील-रानीखेत व जिला-अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.750 कि०मी० हेतु 0.985 है० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कटारमल द्वारा दिनांक 18-2-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कटारमल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत कटारमल
ब. प. - इंचालबाग (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

